अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 संख्या 56 श्री विजय पुरम, गुरूवार, 26 फ़रवरी 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए

दानिक्स प्रोबेशनर्स, 62वां बैच, के 11 अधिकारियों का समूह, जो वर्तमान में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में संलग्न है, ने आज श्री विजय पुरम स्थित लोक निवास में एडमिरल डी.के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.), माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी से शिष्टाचार भेंट की। द्वीपों में अपने तीन माह के कार्यकाल की पूर्णता पर, माननीय उप राज्यपाल ने प्रोबेशनर्स से पर्यटन, आतिथ्य और मत्स्य क्षेत्र सहित ब्लू इकोनॉमी से संबंधित अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए सुझाव देने को कहा। अधिकारियों से अण्डमान बेसिन में संचालित तेल अन्वेषण के संबंध में भी विचार एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया। दानिक्स प्रोबेशनर्स द्वारा प्रस्तुत सुझावों की माननीय उप राज्यपाल ने सराहना की तथा उन्हें द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से संचालित अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की वृहत् परियोजनाओं में सम्मिलित करने का सुझाव दिया।

मायाबंदर के निकट हेलीकॉप्टर घटना के बाद त्वरित बचाव प्रयासों से बची सभी की जान

मायाबंदर, 25 फरवरी

बीते 24 फरवरी, 2026 को पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के मायाबंदर तट के निकट समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग करने को विवश हो गया। हेलीकॉप्टर में दो पायलटों सहित एक शिशु समेत कुल सात व्यक्ति सवार थे।

उड़ान विवरण के अनुसार, हेलीकॉप्टर ने सुबह 8:30 बजे श्री विजय पुरम से रंगत के लिए उड़ान भरी, सुबह 9:08 बजे रंगत में उतरा तथा लगभग सुबह 9:11 बजे मायाबंदर के लिए रवाना हुआ (अनुमानित उड़ान समयः 15 मिनट)। निर्धारित समय पर हेलीकॉप्टर मायाबंदर हेलीपैड पर नहीं पहुंचा तो हेलीपैड कर्मचारियों ने 5 से 10 मिनट तक प्रतीक्षा की। इसी बीच ग्राम पंचायत रामपुर के प्रधान ने सूचना दी कि हेलीकॉप्टर ने मायाबंदर के समीप स्थानीय रूप से 'तोता टेकरी' कहलाने वाले स्थान के पास समुद्र में आपात लैंडिंग की है। स्थानीय प्रधान से प्रथम सूचना प्राप्त होते ही श्री सुशांत पधा (आईएएस), उपायुक्त, उत्तर व मध्य अण्डमान ने तत्काल स्टेशन कमांडेंट, तटरक्षक बल तथा एसडीपीओ को सूचित कर तटरक्षक और पुलिस समुद्री बल की नौकाओं को रवाना करने के निर्देश दिए।

असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए आईआरबीएन के कंपाउंडर हेड कांस्टेबल (एसजी/051536) श्री के. कार्तिक कुमार, वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्री सॉव मनाशी (पुत्र सॉव मलाची), श्री सॉव थॉमस (पुत्र सॉव सकारी) तथा श्री सॉव सकारी (पुत्र सॉव अलीशा), जो इंटरव्यू द्वीप की ओर जा रहे थे, बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र में कूद पड़े। अपनी जान जोखिम में डालते हुए उन्होंने सभी यात्रियों और पायलटों को सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकाला। उनके त्वरित और निस्वार्थ प्रयासों के कारण हेलीकॉप्टर में सवार सभी व्यक्तियों को सुरक्षित बचा लिया गया। उपायुक्त (उत्तर व मध्य अण्डमान) स्वयं तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव एवं आवश्यक सहायता कार्यों की निगरानी की। ज़िला प्रशासन, पुलिस समुद्री बल, तटरक्षक बल एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई की गई। स्थानीय निवासियों के सहयोग से सभी संबंधित एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंचीं।

सभी यात्रियों, शिशु और दोनों पायलटों सहित, को सुरक्षित बचाकर तत्काल ज़िला अस्पताल, मायाबंदर ले जाया गया, जहां आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण और उपचार किया गया।

उत्तर व मध्य अण्डमान के उपायुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति में ज़िला प्रशासन ने बचाव कार्य में शामिल सभी कर्मियों द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय बहादुरी, समर्पण और मानवीय भावना की उच्च प्रशंसा की है। उनका समय पर हस्तक्षेप और निडर प्रयास आपात स्थिति में जनसेवा और मानवता का प्रेरणादायक उदाहरण है।

माननीय सांसद की अध्यक्षता में ज़िला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति व दिशा की समीक्षा बैठक हुई

श्री विजय पुरम, 25 फरवरी

दक्षिण अण्डमान ज़िले के लिए ज़िला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (डीडीसीएमसी) व दिशा की बैठक आपदा प्रबंधन, दक्षिण अण्डमान के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने की। बैठक में श्रीमती पूर्वा गर्ग (आईएएस), उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान, अध्यक्ष, ज़िला परिषद, दक्षिण अण्डमान, सभी विभागाध्यक्ष तथा दक्षिण अण्डमान की पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन एवं स्थानीय निकायों की संवैधानिक भूमिका के अंतर्गत विकासात्मक पहलों की निगरानी को सुदृढ़ करना था। माननीय सांसद ने दक्षिण अण्डमान की विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु सहयोगात्मक शासन और सरकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के महत्व पर ज़ोर दिया। उपायुक्त (दक्षिण अण्डमान) ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे माननीय सांसद द्वारा की गई टिप्पणियों एवं

निर्देशों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने वाले विभागों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार बैठक का समापन नियमित निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के स्पष्ट निर्देशों के साथ हुआ, ताकि ज़िले में तीव्र विकास और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

कृषि अनुसंधान संस्थान में "वन हेल्थ सिनर्जी" पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

श्री विजय पुरम, 25 फरवरी

आईसीएआर–केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर–सीआईएआरआई), श्री विजय पुरम द्वारा अण्डमान विज्ञान संघ (एएसए) के सहयोग से 25 फरवरी, 2026 को "वन हेल्थ सिनर्जीः सतत भविष्य के लिए मानव, पशु, पादप एवं जलीय जीवन का एकीकरण" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हाइब्रिड माध्यम में किया गया। इस सम्मेलन में देशभर से वैज्ञानिक, नीति–निर्माता, शिक्षाविद् एवं विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक शामिल हुए, जिन्होंने समेकित स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर विचार–विमर्श किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार सिन्हा (आईएफएस), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह थे। इस अवसर पर डॉ. अविजीत रॉय, उप निदेशक (स्वास्थ्य), डॉ. जय सुंदर, अध्यक्ष, एएसए एवं निदेशक, आईसीएआर–सीआईएआरआई, डॉ. लालजी सिंह, अपर निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा डॉ. सी. शिवपेरुमन, उपाध्यक्ष, एएसए एवं अपर निदेशक, भारतीय प्राणी

सर्वेक्षण उपस्थित रहे। अपने उद्घाटन संबोधन में श्री संजय कुमार सिन्हा ने उभरती चुनौतियों जैसे जूनोटिक रोग, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने में 'वन हेल्थ' अवधारणा की प्रासंगिकता पर बल दिया, विशेषकर द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

शेष पृष्ठ 4 पर

द्वीपों में रात्रि समुद्री कयाकिंग (बुनियादी) के संचालन के लिए दिशानिर्देशों के मसौदे पर सुझाव/राय/टिप्पणियाँ आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 25 फरवरी

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा सूचित किया गया है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में रात्रि समुद्री कयाकिंग (बुनियादी) के संचालन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

इस संबंध में, मसौदा दिशा–निर्देशों को आम जनता, पर्यटन हितधारकों, विभिन्न विभागों आदि से राय, टिप्पणियाँ और सुझाव प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। मसौदा दिशा–निर्देश सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट **https://tourism.andamannicobar.gov.in** पर उपलब्ध हैं। सभी टिप्पणियाँ/राय/सुझाव 15 दिनों के भीतर, यानी 12 मार्च, 2026 को या उससे पहले, सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यदि 12 मार्च, 2026 तक आम जनता, पर्यटन हितधारकों या संबंधित विभागों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास देने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है। प्रासंगिक और रचनात्मक पाए गए सुझावों को दिशा–निर्देशों के अंतिम संस्करण में उचित रूप से शामिल किया जाएगा। प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणियाँ नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं:

मौजूदा खंड संख्या	मसौदा दिशा–निर्देशों का मौजूदा खंड	मसौदा दिशा–निर्देशों के लिए प्रस्तावित सुझाव/टिप्पणियाँ

मादक पदार्थ की बरामदगी में सहयोग हेतु ओंगी जनजातीय गृह रक्षक को डीजीपी द्वारा सम्मानित किया गया

श्री विजय पुरम, 25 फरवरी

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस के पुलिस महानिदेशक ने 24 फरवरी, 2026 को सायं 4 बजे पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में ओंगी जनजाति के होमगार्ड (गृह रक्षक) स्वयंसेवक श्री राजा एवं श्री झाज को सम्मानित किया। दोनों स्वयंसेवकों को मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दर्ज़ एक मामले में 6.979 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की बरामदगी में पुलिस को प्रदान की गई उनकी साहसपूर्ण एवं महत्वपूर्ण सहायता के लिए सम्मानित किया गया। 16 जनवरी, 2026 को लिटिल अण्डमान के हटबे थाना क्षेत्र के अंतर्गत पगला मुंडी के निकट जंगल में पैदल गश्त के दौरान उन्होंने घने वन क्षेत्र में रेत एवं सूखी पत्तियों के नीचे छिपाकर रखे गए 6.979 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की पहचान और बरामदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विशेष उल्लेखनीय है कि यह पहली बार है जब किसी अत्यंत संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के सदस्यों को सक्रिय फील्ड ऑपरेशन में शामिल किया गया और उन्होंने किसी बड़े मादक पदार्थ मामले में उल्लेखनीय योगदान दिया। स्थानीय

भू–भाग की उनकी गहन जानकारी, सजगता एवं सक्रिय सहभागिता ने छिपाए गए मादक पदार्थ की बरामदगी में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। उनके समयबद्ध सहयोग से द्वीपों में सामुदायिक सहभागिता पर आधारित समावेशी पुलिसिंग को और सुदृढ़ता मिली है एवं अण्डमान तथा निकोबार पुलिस की द्वीपों को नशा मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता को बल मिला है। दक्षिण अण्डमान ज़िले के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उनके उत्कृष्ट योगदान की

शेष पृष्ठ 4 पर

कला एवं संस्कृति निदेशालय का होली उत्सव

अण्डमान क्लब में 'फाग' एवं पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता 2 मार्च को

श्री विजय पुरम, 25 फरवरी

कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा रंगों के पर्व होली का आयोजन 2 मार्च, 2026 (सोमवार) को सायं 6 बजे अण्डमान क्लब, श्री विजय पुरम में किया जाएगा। इस वर्ष के आयोजन का मुख्य आकर्षण 'फाग' कार्यक्रम के साथ एक विशेष पारंपरिक पाक प्रतियोगिता "होली के पकवान" होगी, जिसका आयोजन पंख–एनजीओ के सहयोग से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य होली से जुड़े समृद्ध पारंपरिक व्यंजनों की विरासत को प्रदर्शित एवं संरक्षित करना है।

कला एवं संस्कृति निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति में प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न क्षेत्रों एवं समुदायों में प्रचलित पारंपरिक मिठाइयाँ, नमकीन एवं उत्सवी व्यंजन तैयार कर प्रस्तुत करें। इच्छुक प्रतिभागी "होली के पकवान" प्रतियोगिता हेतु अपना पंजीकरण कला एवं संस्कृति निदेशालय कार्यालय, सेल्यूलर जेल परिसर के प्रशासनिक भवन की प्रथम मंजिल में अथवा 28 फरवरी, 2026 तक श्री रोहित राज (मोबाइलः 9679581350) से संपर्क कर करा सकते हैं। पंजीकरण के समय विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में प्रथम तीन विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

आम जनता को 2 मार्च, 2026 को सायं 5:30 बजे से अण्डमान क्लब में इस हर्षोल्लासपूर्ण आयोजन में सादर आमंत्रित किया जाता है। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं होंगीः

- पारंपरिक लोक एवं भक्ति संगीत प्रस्तुतियां
- लाइव होली गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
- पारंपरिक होली व्यंजनों का प्रदर्शन एवं स्वाद
- रंग, संगीत और सामुदायिक सौहार्द से परिपूर्ण उत्सवी वातावरण

यह आयोजन द्वीपसमूह की विविध समुदायों को होली की सच्ची भावना–आनंद, सौहार्द और सांस्कृतिक समृद्धि–के साथ एक मंच पर लाने का वादा करता है।

अण्डमान–निकोबार में चिकित्सकों के लिए अलग से एनओसी आवश्यक नहीं

श्री विजय पुरम, 25 फरवरी

आम जनता और सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के केंद्र शासित प्रदेश में चिकित्सा चिकित्सकों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना अनिवार्य करने वाले कोई अलग नियम या विनियम नहीं हैं। तदनुसार, कोई भी चिकित्सक जिसके पास किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से वैध पंजीकरण है, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के केंद्र शासित प्रदेश में चिकित्सा अभ्यास करने के लिए पात्र है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अतः, इस केंद्र शासित प्रदेश में प्रैक्टिस करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से अलग से एनओसी की आवश्यकता नहीं है।

जेएनआरएम में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित

श्री विजय पुरम, 25 फरवरी

यहां के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने अपोलो क्लिनिक, श्री विजय पुरम के सहयोग से जेएनआरएम परिसर में 19 फरवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026 तक दो दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस शिविर में संस्थान के छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, परामर्श और जागरूकता सत्र प्रदान किए गए। लगभग 200 प्रतिभागियों ने सामान्य स्वास्थ्य जांच, दंत चिकित्सा और कान, नाक और गले की जांच जैसी सेवाओं का लाभ उठाया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों और एनएसएस स्वयंसेवकों ने सुचारू समन्वय सुनिश्चित किया और पूरे शिविर के दौरान प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जेएनआरएम की प्रिंसिपल डॉ. पर्ल देवदास ने इस पहल की सराहना करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देने में इस तरह के सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला।

मायाबंदर में ट्राई द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

मायाबंदर, 25 फ़रवरी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) उपभोक्ता हितों और संरक्षण के मुद्दों पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (सीओपी), क्षमता विकास कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करता है। इसी श्रृंखला के तहत, ट्राई (क्षेत्रीय कार्यालय–कोलकाता) ने आज उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के मायाबंदर स्थित महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय (एमजीजीसी) में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जनता को ट्राई द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों से अवगत कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री एस. कृष्ण चैतन्य, अपर ज़िला मजिस्ट्रेट, उत्तर व मध्य अण्डमान ने सत्र को संबोधित किया और एमजीजीसी जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान में उपभोक्ताओं के हित में ट्राई द्वारा आयोजित इस उपयोगी कार्यक्रम की सराहना की। सम्मानित अतिथि के रूप में डॉ. आर.वी.आर. मूर्ति, प्राचार्य, मायाबंदर कॉलेज ने इस जागरूकता कार्यक्रम की प्रासंगिकता और आयोजन की प्रशंसा की। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम के दौरान श्री देबजीत साहा, एसआरओ, ट्राई ने विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ता–केंद्रित नियमों और प्रावधानों की जानकारी दी। इसके अलावा, श्री सी. मणिवनन, उप निरीक्षक, मायाबंदर थाना ने वित्तीय साइबर धोखाधड़ी और रोकथाम उपायों पर प्रस्तुति दी और नागरिकों को साइबर अपराध के जाल से बचने के तरीके बताए। श्री आशिम दत्ता, संयुक्त सलाहकार, ट्राई आरओ कोलकाता ने संचार साथी पोर्टल (**sancharsaathi.gov.in**) पर प्रस्तुति दी, जिसमें "चक्षु" (धोखाधड़ी संचार), सीईआईआर (खोया या चोरी हुआ मोबाइल), टैफकॉप (मोबाइल कनेक्शन संख्या) जैसे उपकरणों की जानकारी साझा की गई।

मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संचालित

श्री विजय पुरम, 25 फ़रवरी

ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा आज एसपीआरसी प्रशिक्षण हॉल में 'मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत (एमडब्ल्यूएफजीपी)' पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने हेतु संस्थागत तंत्र को मजबूत करना है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार डॉ. सी. विजया, डोमेन एक्सपर्ट (महिला सशक्तिकरण) ने पीआरआई में लैंगिक–संवेदनशील शासन संरचनाओं के निर्माण के महत्व पर ज़ोर दिया। श्रीमती मरियम, उप निरीक्षक, अण्डमान तथा निकोबार पुलिस ने महिलाओं के संरक्षण के लिए उपलब्ध विभिन्न कानूनी प्रावधानों को उजागर किया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सक्रिय भूमिका पर चर्चा की। श्रीमती रुख्सार रहीम, पैरा लीगल काउंसलर, समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी सहायता सेवाओं और समर्थन प्रणाली पर जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया।

लिटिल अण्डमान के विभिन्न पंचायतों में पशु आहार और चारा प्रबंधन पर क्षेत्रीय प्रदर्शन

श्री विजयपुरम, 25 फ़रवरी

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के सहयोग से लिटिल अण्डमान के वीकेपुर और आरकेपुर ग्राम पंचायत में पशुधन आहार और चारा प्रबंधन पर दो क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित किए। वीकेपुर में श्री हरी पदा के खेत में संतुलित और पौष्टिक आहार देने का प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसानों को पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार के लिए उपयुक्त आहार फार्मूलेशन सिखाया गया। आरकेपुर में श्रीमती सुभद्रा रॉय के खेत में साइलज़ बनाने का व्यावहारिक प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने दही, गुड़, सेंधा नमक और चेलेटेड मिनरल मिक्स का उपयोग कर 25 किलो हाइब्रिड नेपियर घास का सटीक काटा हुआ चारा बनाने की पूरी प्रक्रिया सीखी। इस दौरान आवश्यक आदान और अध्ययन सामग्री भी वितरित की गई। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इसके अलावा, 21 फ़रवरी को

हरमिंदर बे और नेताजी नगर में दो अतिरिक्त प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। इन प्रदर्शन में पोल्ट्री में डिवॉर्मिंग और टीकाकरण तथा मछली तालाब और बत्तख पालन के एकीकृत मॉडल पर सिखाया गया। इन सत्रों ने रोग रोकथाम, संसाधन पुनर्चक्रण और युगल–उद्देश्य वाले कृषि तरीकों के महत्व को उजागर किया, जिससे आय और सततता बढ़ाई जा सके।

कनिष्ठ अन्वेषक पद हेतु अस्थायी पात्र–अपात्र सूची जारी, आपत्तियाँ 10 दिन में आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 25 फरवरी

स्थानीय समाचार पत्रों में 24 मई, 2025 को प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अंतर्गत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय में कनिष्ठ अन्वेषक ग्रुप 'सी', अराजपत्रित, अ–मंत्रालयिक पदपर भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से 26 मई, 2025 से 24 जून, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

इस संबंध में सभी संबंधित उम्मीदवारों को अवगत कराया जाता है कि उक्त विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की समुचित रूप से गठित समिति द्वारा जांच के उपरांत कनिष्ठ अन्वेषक (डीईएस एवं एएच एंड वीएस) पद हेतु अस्थायी रूप से पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है तथा इसे अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के आधिकारिक भर्ती पोर्टल **https://erecruitment.andamannicobar.gov.in** पर अपलोड कर दिया गया है।

प्राप्त विज्ञप्ति में सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वे उक्त सूचियों में अपने विवरण का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो वे अपने दावे/आपत्तियां (यदि कोई हों) आवश्यक दस्तावेज़ों सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे/आपत्तियाँ आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, क्वारी हिल, तमिझार संघम के निकट, फीनिक्स बे, श्री विजय पुरम, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह–744101 (फोन नम्बर 03192–216806) के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा या ई–मेले **sohq.des.ani@gmail.com** पर, इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 10 (दस) दिनों के भीतर अवश्य पहुँच जानी चाहिए। निर्धारित अवधि के पश्चात अथवा बिना समुचित दस्तावेज़ी प्रमाण के प्राप्त दावे/आपत्तियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। टिप्पणीः पात्र अभ्यर्थियों की सूची पूर्णतः अस्थायी (प्रोविजनल) है। अंतिम पात्रता का निर्धारण परिणाम घोषित होने के पश्चात मूल प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के समय ही किया जाएगा। अस्थायी पात्र सूची में नाम सम्मिलित होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार अथवा दावा प्राप्त नहीं होगा।

कृषि अनुसंधान संस्थान में "वन हेल्थ सिनर्जी" पर ——————पृष्ठ 1 का शेष

डॉ. लालजी सिंह ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की पारिस्थितिक विशिष्टता पर प्रकाश डालते हुए इन्हें जैव विविधता से समृद्ध किंतु पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बताया। डॉ. सी. शिवपेरुमन ने कहा कि द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्तनधारियों, जीव–जंतुओं एवं पक्षियों की विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कई स्थानिक (एंडेमिक) हैं।

इससे पूर्व, डॉ. टी. सुजाता, प्रधान वैज्ञानिक एवं आयोजन सचिव, एएसए ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए दो दिवसीय सम्मेलन के उद्देश्यों एवं प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी दी।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह सम्मेलन मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पादप विज्ञान, जलीय तंत्र एवं पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है तथा सतत एवं सुदृढ़ भविष्य के निर्माण की दिशा में 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण को सशक्त करता है।

मादक पदार्थ की बरामदगी में सहयोग हेतु ——————————पृष्ठ 1 का शेष

सराहना करते हुए पुलिस महानिदेशक ने श्री राजा एवं श्री झाज को 10,000 रूपए की नकद पुरस्कार राशि तथा प्रशंसा प्रमाणपत्र (सीसी–1) प्रदान किया। पुलिस महानिदेशक ने उनकी ईमानदारी, सतर्कता एवं ज़िम्मेदारी की भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि समुदाय और पुलिस के बीच इस प्रकार का सहयोग कानून व्यवस्था को मजबूत करता है और शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु व्यापक सहभागिता को प्रेरित करता है। अण्डमान तथा निकोबार पुलिस मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि किसी भी अपराध, मादक पदार्थ तस्करी या अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित सूचना 112, 03192–232100 एवं 03192–236641 पर पुलिस को उपलब्ध कराएं।

तीव्र और निडरः मायाबंदर के निकट समन्वित समुद्री बचाव अभियान

मायाबंदर, 25 फरवरी

बीते 24 फरवरी, 2026 को साहस, प्रतिबद्धता और तत्परता का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए पुलिस समुद्री बल (पीएमएफ), भारतीय रिज़र्व बटालियन (आईआरबीएन) तथा वन विभाग के कार्मिकों ने उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के मायाबंदर के निकट तोता टेकरी द्वीप के पास पवन हंस हेलीकॉप्टर की विवश लैंडिंग की घटना के दौरान असाधारण कर्तव्यनिष्ठा दिखाई।

सुबह लगभग 9:30 बजे घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में गश्त कर रही वन विभाग की डिंगी, जिसमें आईआरबीएन एवं वन विभाग के कर्मी सवार थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। टीम में हेड कांस्टेबल के. कार्तिक कुमार (आईआरबीएन–कंपाउंडर) तथा वन विभाग के कर्मचारी श्री सॉव सकारी, श्री सॉव मनाशी और श्री सॉव एस.सी. थॉमस शामिल थे। इन्होंने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए समुद्र से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने सभी यात्रियों, जिनमें समुद्री पानी अधिक मात्रा में निगल लेने के कारण अचेत हुई एक वृद्ध महिला भी शामिल थीं, को सुरक्षित मायाबंदर जेटी तक पहुंचाया। हेड कांस्टेबल के. कार्तिक कुमार ने मौके पर ही प्राथमिक उपचार प्रदान किया, जिससे घायलों की स्थिति स्थिर करने में महत्वपूर्ण सहायता मिली। इसी दौरान पुलिस समुद्री बल, मायाबंदर की टीम ने भी तत्परता दिखाई। हेड कांस्टेबल रतन झा और एम. गोपी ने एफआरपी नंबर 07 के साथ शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पायलटों को सुरक्षित बचाया। उल्लेखनीय साहस का परिचय देते हुए पीएमएफ कर्मियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए पानी के भीतर गोता भी लगाया कि डूबे हुए हेलीकॉप्टर में कोई व्यक्ति फंसा न रह गया हो। उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार वन विभाग, पीएमएफ और आईआरबीएन के कर्मियों द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट समन्वय, निडरता और अटूट समर्पण सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। उनका त्वरित जीवन रक्षक प्रयास कर्तव्य से परे सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

रंगत में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम गतिविधियों की निगरानी

मायाबंदर, 25 फ़रवरी

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले की ज़िला टीबी अधिकारी डॉ. क्रिस्टिना रोसिटी ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) टीम के साथ रंगत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का दौरा किया, ताकि एनटीईपी गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण किया जा सके। दौरे के दौरान टीम ने दशरथपुर और सबरी गांवों में मरीज़ों के घर जाकर उनके उपचार पालन की समीक्षा की और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार फील्ड विज़िट के बाद, डॉ. क्रिस्टिना ने रंगत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती माताओं के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी (यूएसजी) जांचें भी की। इस सेवा से कुल 39 एएनसी माताओं को लाभ मिला।

पशु स्वास्थ्य और विकास हेतु पोकाडेरा पंचायत में लगा पशु शिविर

मायाबंदर, 25 फ़रवरी

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के मायाबंदर सामुदायिक विकास खंड ने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा और पोकाडेरा पंचायत के सहयोग से आज पोकाडेरा पंचायत, वार्ड नंबर–1 में पशु शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य श्री दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का समर्थन करना, पशुधन विकास को बढ़ावा देना और पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में डॉ. एम. सुजाता हेगड़े, वरिष्ठ पशु चिकित्सक, मायाबंदर, श्री संजीव नारायण, विस्तार अधिकारी, श्री जयशीलन, वार्ड सदस्य और क्लस्टर समन्वयक, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, श्री नौशाद मलिक, वरिष्ठ पशु चिकित्सक सहायक तथा पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग की पैरा पशु चिकित्सा टीम उपस्थित रही। डॉ. एम. सुजाता हेगड़े ने अपने पशु चिकित्सा दल के साथ उपस्थित लोगों को संबोधित किया और पशुपालकों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। शिविर के दौरान, पशु चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच की और स्वयं सहायता समूह सदस्यों और पशुधन मालिकों द्वारा लाए गए 46 मवेशी, बकरियों और 1 कुत्ते की जाँच की। इसके अतिरिक्त, मुर्गियों और पोल्ट्री पक्षियों को लक्षणात्मक उपचार भी प्रदान किया गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पशुधन मालिकों को बेहतर पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, उपचार और सिफारिशें भी दी गईं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पदों हेतु आवेदन आमंत्रित

रंगत, 25 फ़रवरी

बाल विकास परियोजना अधिकारी, रंगत, मध्य अण्डमान का कार्यालय, रंगत/मायाबंदर स्थित प्रमुख पंचायत समिति के कक्ष में साक्षात्कार आयोजित करने का प्रस्ताव करता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 2 आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए यह साक्षात्कार आईसीडीएस, रंगत के अंतर्गत नींबूतला उल्लापारा, रंगत, वार्ड संख्या–7, टी.वी. कुलुम तथा टुगापुर पीएम निर्धारित हैं। उपरोक्त पदों हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन 9 मार्च, 2026 सायं 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), रंगत के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, मानदेय, पात्रता मानदंड तथा आवेदन पत्र का प्रारूप समाज कल्याण निदेशालय की वेबसाइट **http://andssw1.and.nic.in/socialwelfare/** पर उपलब्ध है। साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना अलग से दी जाएगी। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जो अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यक्षेत्र के मूल निवासी हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में दूरभाष संख्या 9474250100, 9434295692 पर संपर्क किया जा सकता है।

बिड़नाबाद में एसएचजी सदस्यों के लिए लगा मुफ़्त दंत स्वास्थ्य शिविर

श्री विजय पुरम, 25 फ़रवरी

दक्षिण अण्डमान के प्रोतरापुर सामुदायिक विकास खंड ने अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के सहयोग से आज ग्राम पंचायत बिड़नाबाद में डीएवाई–एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और उनके परिवारों के लिए मुफ़्त दंत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। शिविर एसकेएम डेंटल क्लिनिक के सहयोग से संचालित किया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार डॉ. के. विनोद और एसकेएम डेंटल क्लिनिक की टीम ने सभी प्रतिभागियों के दंत स्वास्थ्य की जाँच की और उचित मौखिक स्वच्छता बनाए रखने और रोकथाम आधारित दंत देखभाल के अभ्यास अपनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। यह पहल डीएवाई–एनआरएलएम के खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और वाश (एफएनएचडब्ल्यू) घटक के अंतर्गत आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह सदस्यों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना था।

डिगलीपुर में प्रभावी कचरा प्रबंधन पर खंड स्तर प्रशिक्षण दिया गया

डिगलीपुर, 25 फ़रवरी

ग्रामीण विकास विभाग ने आज जीपीओए हॉल, प्रशासनिक भवन, डिगलीपुर, उत्तर व मध्य अण्डमान में प्रभावी कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु एक दिवसीय खंड स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण में पंचायत स्तर पर घर–घर कचरा पृथक्करण के महत्व और स्थायी प्रथाओं (साफ़–सुथरा और हरित गाँव) को अपनाने पर ज़ोर दिया गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य संसाधन व्यक्ति के रूप में श्री एम. राजेंद्र कुमार (बीडीओ, सामुदायिक विकास खंड, डिगलीपुर), श्री सी. राजेंद्रन (विस्तार अधिकारी), एपीडब्ल्यूडी विभाग के प्रतिनिधि और श्रीमती सुनीता दास (एमआईएस सहायक) उपस्थित थे।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम, दिनांक 3 फरवरी, 2026

सं. 36/2026/फा. सं. 2-23/2020/Rev.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11.04.1960 की अधिसूचना संख्या 14/3/60 –ए.एन.एल. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस पद से संबंधित पूर्व की सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन उपायुक्त की स्थापना में धारित **सर्वेक्षक** वर्ग 'ग' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :–**
(i) इन नियमों को "संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (राजस्व विभाग के सर्वेक्षक की वर्ग 'ग' पद) की भर्ती नियमावली, 2025" कहा जाएगा।
(ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :–**
उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं :–**
उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **अयोग्यताएँ :–** कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने –
क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है, या
ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो :
परंतु उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. **ढ़ील देने की शक्ति :–** जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. **व्यावृत्ति :–** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित करना अपेक्षित है।

एडमिरल डी. के. जोशी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.)
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(ए. येसु राज)
सहायक सचिव (राजस्व)

अनुसूची
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (राजस्व विभाग) के अधीन उपायुक्त की स्थापना में सर्वेक्षक के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	**सर्वेक्षक**
2.	पदों की संख्या	44 (चवालीस)* (2024) * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ग' अराजपत्रित (अलिपिकीय)
4.	वेतन स्तर	वेतन स्तर – 4 (रु. 25500–81100)
5.	चयन पद या गैर–चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरुष के लिए 18–33 वर्ष महिला के लिए 18–38 वर्ष नोट–I : केंद्रीय सरकार द्वारा पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी। नोट–II : भारत के अन्य स्थानों के उम्मीदवारो से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला और चंबा जिले का पंगी उप–मंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	**अनिवार्य :** (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/उद्योग/प्रतिष्ठान से क्राफ्ट्समेन प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के तहत सर्वेक्षक ट्रेड में एक वर्ष या दो वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (एनटीसी) धारक होना चाहिए। या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/उद्योग/प्रतिष्ठान से शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एटीएस) के तहत सर्वेक्षक ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) धारक होना चाहिए।
		(iii) विभाग या किसी प्राधिकृत भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। **वांछनीय** : संबंधित कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे ?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	02 (दो) वर्ष (सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकरी द्वारा निर्धारित के अनुसार न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।
10.	भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	**स्थायीकरण के लिए विचार हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन इस प्रकार है :** 1. सचिव (राजस्व) – अध्यक्ष 2. संबंधित उपायुक्त – सदस्य 3. सहायक सचिव (राजस्व), सचिवालय – सदस्य 4. उप सचिव (कार्मिक/सहायक सचिव कार्मिक) – सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं

अनुसूची का अनुलग्नक
सर्वेक्षक का कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. प्राकृतिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भूभाग का गाँवों में विभाजन करना।
2. खंडम सीमा और छोटे सर्किटस् बनाना।
3. अवस्थिति का स्केच तैयार करना।
4. 'ए' स्केच तैयार करना।
5. गाँव सीमा/खंडम सीमा, छोटे सर्किटों और व्यक्तिगत खेतों के ट्राईजंक्शन के लिए आयोजना और सर्वेक्षण पत्थर लगाना
6. गाँव सीमा/खंडम सीमा, छोटे सर्किटों और व्यक्तिगत खेतों के ट्राईजंक्शन का चेन द्वारा मापन कार्य।
7. थियोडोलाइट द्वारा ट्रवर्स स्टेशन का मापन कार्य।
8. 'बी' स्केच और 'बी' फील्ड बुक तैयार करना।
9. पुत्तल स्केच तैयार करना।
10. फील्ड मेजरमेंट बुक तैयार करना।
11. भूमि रजिस्टर तैयार करना।
12. व्यक्तिगत प्लॉट के क्षेत्रफल का गणना करना।
13. तकनीकी प्रकृति के अन्य सभी संबंधित कार्य।
14. लोकहित में सौंपे गए अन्य कार्य।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, श्री विजय पुरम

प्रेस विज्ञप्ति

No. A-12024/1/2023-Admin-Sec-ENS_AN/202 दिनांक 25 फरवरी, 2026

"दि डेली टेलीग्राम्स" में दिनांक 24/05/2025 को प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अंतर्गत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं निदेशालय में **कनिष्ठ अन्वेषक** समूह 'सी', अराजपत्रित, अ–मंत्रालयिक पद पर भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से 26/05/2025 से 24.06.2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

इस संबंध में सभी संबंधित उम्मीदवारों को अवगत कराया जाता है कि उक्त विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की समुचित रूप से गठित समिति द्वारा जांच के उपरांत कनिष्ठ अन्वेषक (DES एवं AH&VS) पद हेतु अस्थायी रूप से पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है तथा इसे अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के आधिकारिक भर्ती पोर्टल https://erecruitment.andamannicobar.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त सूचियों में अपने विवरण का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो वे अपने दावे/आपत्तियां (यदि कोई हों) आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे/आपत्तियाँ आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, क्वारी हिल, तमिझर संघम के निकट, फीनिक्स बे, श्री विजय पुरम, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह–744101 (फोन संख्या 03192–216806) के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा या ई–मेल sohq-des.ani@gmail.com पर, इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 10 (दस) दिनों के भीतर अवश्य पहुँच जानी चाहिए। निर्धारित अवधि के पश्चात अथवा बिना समुचित दस्तावेजी प्रमाण के प्राप्त दावे/आपत्तियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी :– पात्र अभ्यर्थियों की सूची पूर्णतः अस्थायी (प्रोविजनल) है। अंतिम पात्रता का निर्धारण परिणाम घोषित होने के पश्चात मूल प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के समय ही किया जाएगा। अस्थायी पात्र सूची में नाम सम्मिलित होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार अथवा दावा प्राप्त नहीं होगा।

ह./–
नोडल अधिकारी (भर्ती)
सांख्यिकी अधिकारी (मुख्यालय)
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

बेटियों को कैंसर से बचाने के लिए देशभर में शुरू होगा निःशुल्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण

नई दिल्ली, 25 फरवरी।

केंद्र सरकार जल्द ही देश भर में ह्यूमन पेपिलोमावायरस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी. एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि ह्यूमन पेपिलोमावायरस वैक्सीन की शुरुआत से महिलाओं का स्वास्थ्य मजबूत होगा और रोके जा सकने वाले कैंसर खत्म होंगे. इस पहल का उद्देश्य किशोरियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर (सर्वाइकल कैंसर) से बचाना है.

सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) भारत में महिलाओं के बीच दूसरा सबसे आम कैंसर बना हुआ है, जहां हर साल लगभग 80,000 नए मामले सामने आते हैं और 42,000 से अधिक मौतें दर्ज की जाती हैं. वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के उच्च–जोखिम वाले प्रकारों, विशेष रूप से HPV टाइप 16 और 18 के लगातार संक्रमण के कारण होते हैं.

भारत में सर्वाइकल कैंसर के 80 प्रतिशत से अधिक मामलों के लिए यही दो प्रकार जिम्मेदार हैं. अधिकारी की मानें तो टीकाकरण और शुरुआती जांच के माध्यम से काफी हद तक रोकथाम योग्य होने के बावजूद, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं और परिवारों पर भारी बोझ डाल रहा है. HPV टीकाकरण कार्यक्रम कैंसर में बदलने से पहले ही HPV संक्रमण को रोककर सीधे इस चुनौती का समाधान करेगा.

एचपीवी टीके दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किए गए टीकों में से हैं. ये वैक्सीन–कवर किए गए HPV प्रकारों के कारण होने वाले सर्वाइकल कैंसर को रोकने में 93–100 प्रतिशत तक प्रभावी हैं. विशेषज्ञ की मानें तो यह एक 'नॉन–लाइव' (गैर–जीवित) वैक्सीन है, इससे HPV संक्रमण नहीं होता है और इसका सुरक्षा रिकॉर्ड बेहतरीन है. 2006 में इसकी शुरुआत के बाद से दुनिया भर में इसकी 50 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं, जो इसकी सुरक्षा की पुष्टि करती हैं.

विभागीय सूत्रों के अनुसार, "भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में 'गार्डासिल' का उपयोग किया जाएगा. यह एक 'क्वाड्रीवैलेंट' HPV वैक्सीन है जो कैंसर पैदा करने वाले HPV टाइप 16 और 18 के साथ–साथ टाइप 6 और 11 से भी सुरक्षा प्रदान करती है. वैश्विक और भारतीय वैज्ञानिक प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि निर्धारित आयु वर्ग की लड़कियों को दी गई एकल खुराक भी मजबूत और टिकाऊ सुरक्षा प्रदान करती है."

भारत दुनिया के उन 160 देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने पहले ही अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों में HPV वैक्सीन को शामिल कर लिया है. वैश्विक स्तर पर, 90 से अधिक देश सिंगल–डोज HPV टीकाकरण कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, जिससे इसकी पहुंच और सामर्थ्य में सुधार हुआ है. कई देशों ने व्यापक टीकाकरण के बाद HPV संक्रमण, कैंसर–पूर्व लक्षणों और सर्वाइकल कैंसर के मामलों में भारी कमी दर्ज की है.

अधिकारी के अनुसार, इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत 14 वर्ष की लड़कियों को लक्ष्य बनाया जाएगा. यह वह उम्र है जब HPV टीका वायरस के संभावित संपर्क में आने से बहुत पहले, अधिकतम सुरक्षा और लाभ प्रदान करता है. राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत यह टीकाकरण स्वैच्छिक और निःशुल्क होगा, जिससे सभी सामाजिक–आर्थिक वर्गों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित हो सके.

डीजीसीए ने गैर–निर्धारित उड़ान संचालकों के लिए नियमों को सख्त किया

नई दिल्ली, 25 फरवरी।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय–डीजीसीए ने हाल ही में बढ़ती विमान दुर्घटनाओं के बीच चार्टर विमानों के संचालकों के लिए नए कड़े सुरक्षा निर्देशों की घोषणा की है। कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला किया गया। डीजीसीए ने कहा कि चार्टर और वीआईपी उड़ानों सहित सभी गैर अधिसूचित उड़ानों के बारे में सुरक्षा के आधार पर कमांडर–पाइलट का फैसला अंतिम होगा। विमान संचालकों को विमान की उम्र, मेंटिनेंस हिस्ट्री और पाइलटों के अनुभव जैसे प्रमुख सुरक्षा विवरण सार्वजनिक करने होंगे। डीजीसीए सुरक्षा रैंकिंग, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और डाडा ऑडिट की शुरूआत करेगा। सिस्टम में किसी भी तरह की खामी के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

आईसीसी टी20 रैंकिंगः गेंदबाजी में बॉश, बुमराह और फोर्ड की लंबी छलांग, वरुण नंबर एक पर बरकरार

नई दिल्ली, 25 फरवरी।

टी20 विश्व कप 2026 के सुपर–8 मुकाबलों के बीच आईसीसी ने टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग जारी की है। ताजा रैंकिंग में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पहले स्थान पर बने हुए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश, वेस्टइंडीज के मैथ्यू फोर्ड और भारत के जसप्रीत बुमराह ने लंबी छलांग लगाई है।

ताजा रैंकिंग में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान दूसरे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश ने 21 स्थान की छलांग लगाते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद चौथे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को दो स्थान का नुकसान हुआ है। अबरार पांचवें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जांपा ने 2 स्थान की छलांग लगाते हुए छठा स्थान हासिल किया है।

वेस्टइंडीज के मैथ्यू फोर्ड ने भी बड़ी छलांग लगाई है। फोर्ड ने 23 स्थान की छलांग लगाते हुए शीर्ष 10 में एंट्री

की है और सातवां स्थान हासिल किया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी। उस प्रदर्शन के आधार पर बुमराह की भी एंट्री भी शीर्ष 10 में हो गई है। बुमराह 7 स्थान की छलांग लगाते हुए आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान नौवें स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा दसवें स्थान पर हैं। विश्व कप से बाहर हो चुके हसरंगा को चार स्थान का नुकसान हुआ है।

इतिहास के पन्नों में 26 फरवरीः चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है

नई दिल्ली, 25 फरवरी।

गुजरात के राजकोट शहर में 17 मई 1951 को जन्मे मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास चारण का 26 फरवरी 2024 को 72 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। भारतीय संगीत उद्योग में उन्हें तलत अज़ीज़ और जगजीत सिंह के साथ गज़ल को लोकप्रिय संगीत के दायरे में लाने का श्रेय दिया जाता है। उधास को फिल्म नाम में गायकी से प्रसिद्धि मिली, जिसमें उनका एक गीत चिठ्ठी आई है काफी लोकप्रिय हुआ। इस गाने ने पंकज उधास को घर–घर पहुंचा दिया। आगे चल कर उन्होंने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायक के रूप में अपनी आवाज दी। उन्होंने कई एल्बम रिकॉर्ड किये और पूरी दुनिया में नाम कमाया। साल ७००६ में पंकज उधास को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

अन्य अहम घटनाएंः–1994– उत्तरी कोरिया अपने परमाणु संयंत्रों को अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण के लिए खोलने पर सहमत। 1995– कॉपीराइट मुद्दे पर अमेरिका एवं चीन के मध्य समझौता।

1999– पांच ग्रैमी अवार्ड जीतकर रैप गायिका लॉरिन हिल ने नया रिकार्ड बनाया।

2001– क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन का निधन।

2002– अफ़ग़ानिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री हामिद करजई भारत की दो दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे।

2004– मकदुनिया के राष्ट्रपति बेरिस ट्रेज कोवस्की की विमान दुर्घटना में मृत्यु।

2006– परमाणु परिशोधन पर ईरान और रूस में समझौता।

2007– नेपाल सरकार द्वारा नरेश की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा।

2008– रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने वर्ष 2008–09 का रेल बजट संसद में पेश किया।

ईसीआई और राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन

ईसीआई और एसईसी ने राष्ट्रीय और संवैधानिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया

नई दिल्ली, 25 फरवरी।
1. भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और राज्य निर्वाचन आयुक्तों (एसईसी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का समापन कल (मंगलवार, 24 फरवरी, 2026) को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में 30 राज्यों के राज्य चुनाव आयोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।
3. राज्य चुनाव आयुक्तों ने 27 वर्षों के अंतराल के बाद सफलतापूर्वक आयोजित राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन की व्यापक रूप से सराहना की। चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्तों ने राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन को वार्षिक आधार पर आयोजित करने का संकल्प लिया।
4. मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में, सभी निर्वाचन क्षेत्र आयुक्तों ने राष्ट्रीय घोषणा 2026 को अपनाने का संकल्प लिया और इस बात की पुष्टि की कि शुद्ध मतदाता सूचियों की तैयारी लोकतंत्र की आधारशिला है और चुनावों का पारदर्शी और कुशल संचालन लोकतांत्रिक संस्थानों को और मजबूत करता है।
5. राष्ट्रीय और संवैधानिक हित में, चुनाव आयोग ने देश भर के सभी आयकर निकायों के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य तंत्र और कानूनी रूप से व्यवहार्य ढांचे विकसित करने का प्रस्ताव रखा है ताकि चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाया जा सके, जिसमें ईसीआईएनईटी, ईवीएम, मतदाता सूची और भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईडीईएम) में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण अवसंरचना को साझा करना शामिल है।
6. घोषणा में यह भी कहा गया है कि ईसीआई और एसईसी पंचायतों और नगर निकायों के चुनावों से संबंधित कानूनों को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों से संबंधित कानूनों के साथ समन्वयित करने के लिए मिलकर काम करेंगे और राष्ट्रीय और संवैधानिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग को मजबूत करेंगे।
7. ईसीआई ने एसईसी से अपने अंतरराष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने का भी अनुरोध किया।
8. सम्मेलन के दौरान एसईसी से प्राप्त सभी सुझावों की जांच ईसीआई के संबंधित उप चुनाव आयुक्तों के नेतृत्व में कानूनी और तकनीकी अधिकारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा विस्तार से की जाएगी।
9. राष्ट्रीय हित में उचित निर्णय लेने के लिए अगले तीन महीनों के भीतर राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार कार्ययोजना आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। (**स्रोत : ईसीआई**)

सीबीएसई ने शुरू की नई पहल, बारहवीं परीक्षा में कापियों का मूल्यांकन अब डिजिटल प्रणाली से होगा

नई दिल्ली, 25 फरवरी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) बारहवीं की परीक्षाओं में बड़ी पहल करने जा रहा है। इस वर्ष बारहवीं की परीक्षाओं में कापियों का मूल्यांकन परीक्षक पेन के माध्यम से नहीं, डिजिटल प्रणाली के माध्यम से करेंगे। इससे बोर्ड परीक्षा परिणाम की विश्वसनीयता बढ़ेगी। वहीं, मूल्यांकन और पारदर्शी होने से त्रुटियां भी कम होगी।
सीबीएसई दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 10 अप्रैल तक चलेगी। वर्ष–2026 की 12वीं की परीक्षा से सीबीएसई बोर्ड ने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू कर एक बड़े बदलाव की महत्वपूर्ण पहल की है। इसका उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, समय की बचत से युक्त और त्रुटि रहित बनाना है।
सीबीएसई की पहल आन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (ओएसएम) से कापी चेक होंगी। इसमें प्रक्रिया हेड एग्जामिनर (एचई), एसोसिएट हेड एग्जामिनर (एएचई) और मूल्यांकनकर्ता की त्रिस्तरीय संरचना के तहत संपन्न होगी।
डिजिटल प्रणाली के तहत कापियों का मूल्यांकन कार्य अधिकृत बोर्ड मूल्यांकन केंद्रों पर सुरक्षित नेटवर्क एवं पंजीकृत आइपी एड्रेस के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। साथ ही प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को केंद्र प्रभारी द्वारा यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। एनसी पाठक ने बताया कि केवल अधिकृत आइपी एड्रेस से ही पोर्टल पर लागिन की अनुमति होगी।
मूल्यांकन प्रक्रिया मेन एसेसमेंट माड्यूल के माध्यम से स्क्रीन के माध्यम से होगी। डिजिटल प्रणाली के तहत 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं डिजिटल रूप में स्क्रीन पर उपलब्ध होंगी। जूम एवं रोट्रेट जैसी सुविधाओं के माध्यम से उत्तर स्पष्ट रूप से देखे जाएंगे। उत्तरों का मूल्यांकन माउस के

माध्यम से किया जाएगा।
साथ ही अंक सीधे डिजिटल प्रणाली में दर्ज किए जाएंगे। कुल अंक स्वतः (आटो कैलकुलेशन) प्रणाली द्वारा जोड़े जाते हैं। इससे त्रुटियों की संभावना कम रहेगी। जरूरत पड़ने पर अंक संशोधन की सुविधा भी है। अतिरिक्त प्रयास किए गए प्रश्नों में न्यूनतम अंक लाल रंग में प्रदर्शित होते हैं और छोड़े गए विकल्प कुल अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं।
अनुचित साधन (यूएफएम) के मामलों से संबंधित विकल्प चुनकर कारण एवं टिप्पणी दर्ज की जाती है। आवश्यकता होने पर उत्तर पुस्तिका रिजेक्ट भी की जा सकती है। मूल्यांकन के दौरान प्रश्न पत्र (क्वेश्चन पेपर) एवं समाधान (साल्यूशन) देखने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जिससे निष्पक्ष एवं मानकीकृत मूल्यांकन सुनिश्चित होता है।
मूल्यांकन पूर्ण होने के बाद सबमिट एवं कंफर्म के माध्यम से अंक सर्वर पर सुरक्षित रूप से अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद अगली उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए उपलब्ध हो जाती है। डिजिटल प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षकों को डेटा अपडेट करने के बाद उनके ई–मेल पर लागिन संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है।

पश्चिम बंगालः मतदाता सूची पुनरीक्षण में 10वीं का प्रवेश पत्र भी मान्यः सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 25 फरवरी।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में पहचान सत्यापन के लिए 10वीं कक्षा का प्रवेश पत्र उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ पूरक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्त विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह आदेश पारित किया। वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू ने इस मामले को न्यायालय के समक्ष उठाया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह चिंता जताई कि क्या कक्षा 10वीं के प्रवेश पत्र को एक स्वतंत्र पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसे केवल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ पूरक दस्तावेज के रूप में ही उपयोग किया जा सकता है।

साल 2026 की शुरुआत नेवी के लिए बेहद खास, पहले तीन महीनों में दो वॉरशिप मिलेंगे

नई दिल्ली, 25 फरवरी।
भारतीय नौसेना नीले समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक के बाद एक स्वदेशी वॉरशिप शामिल कर रही है। 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की तैयारी तेज है। नए स्वदेशी प्लेटफॉर्म लगातार नेवी में शामिल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में साल 2026 के पहले तीन महीनों में दो वॉरशिप नौसेना में शामिल किए जाएंगे। नेवी के लिए साल 2025 की शुरुआत भी धमाकेदार रही थी, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक सबमरीन और दो वॉरशिप को नौसेना में शामिल किया था। इसमें प्रोजेक्ट 17ए के नीलगिरी क्लास का गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी शामिल था। अब उसी नीलगिरी क्लास का चौथा गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरि नौसेना में शामिल होने जा रहा है।
अगले महीने यानी 14 मार्च को विशाखापत्तनम में यह आधिकारिक तौर पर नेवी का हिस्सा बन जाएगा। वहीं, 27 फरवरी को चेन्नई पोर्ट पर स्वदेशी एंटी–सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट 'अंजदीप' भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट 17ए के तहत बनाए जा रहे सात नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स में से पहला एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी को जनवरी 2025 में नेवी में शामिल किया गया था। इसी क्रम में हिमगिरि और उदयगिरि को भी शामिल किया जा चुका है। अब तारागिरि की बारी है। गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, जो एंटी–सर्फेस और एंटी–शिप वॉरफेयर में बेहद सक्षम है। एंटी–एयर वॉरफेयर के लिए इसमें लॉन्ग रेंज सरफेस–टू–एयर मिसाइल बराक–8 और एयर डिफेंस गन लगी हैं। एंटी–सबमरीन वॉरफेयर के लिए स्वदेशी टॉरपीडो वरुणास्त्र और एंटी–सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद हैं।
यह फ्रिगेट लंबी दूरी से आने वाले हमलों को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी–फंक्शन डिजिटल रडार से लैस है। इसमें हेलिकॉप्टर हैंगर भी है, जहां दो हेलिकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 17ए के तहत बनाए जा रहे सभी सात फ्रिगेट्स में लगभग 75 प्रतिशत उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। 6,700 टन वजनी यह फ्रिगेट 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रतार से चल सकता है।
आईएनएस 'अंजदीप' की खासियत यह है कि यह एंटी–सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, लाइटवेट टॉरपीडो, 30 मिमी नेवल गन, एएसडब्ल्यू कॉम्बैट सूट, हल–माउंटेड सोनार और लो–फ्रीक्वेंसी वैरिएबल डेप्थ सोनार से लैस है। यह 25 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रतार से चल सकता है और एक बार में लगभग 3,300 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है।

सरकार ने 'अश्लील' कंटेंट दिखाने वाले पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 25 फरवरी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को 'अश्लील' कंटेंट स्ट्रीम करने के लिए पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया. जिन प्लेटफॉर्म को सही तरीके से ब्लॉक किया गया, उनमें MoodXVIP, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू शामिल हैं.
ऐसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के तरीके के तहत सरकार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 और अश्लीलता के खिलाफ कानूनों के तहत OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंच को ब्लॉक करने का निर्देश देती है. ये नियम पब्लिक डिसेंसी की रक्षा और उसे बनाए रखने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नैतिका बनाए रखने के लिए हैं.
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 का सेक्शन 69A केंद्र को कई कारणों से ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की पावर देता है. पिछले साल जुलाई में केंद्र ने कई ऐप्स और वेबसाइटों पर कथित तौर पर अश्लील, भद्दे और 'पोर्नोग्राफिक' कंटेंट को स्ट्रीम करने के लिए बैन लगा दिया था. बता दें कि ALTBalaji, ULLU, Big Shots App, Desiflix, Boome, Navarasa Lite और Gulab App पर भी कई तरह की अश्लील सामग्री वाले कंटेंट होते हैं. यह कार्रवाई तब हुई जब इन प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीमिंग कंटेंट भारतीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन पाया गया.
कहा जा रहा है कि ब्लॉक किए गए कई प्लेटफॉर्म्स पर 'सेक्सुअल इशारे' वाला कंटेंट दिखाया जा रहा था. कुछ मामलों में, 'न्यूडिटी वाले सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट' के लंबे सीन दिखाए जा रहे थे, जिन्हें 'पोर्नोग्राफिक नेचर' बताया गया था. ज्यादातर मटीरियल में कोई मतलब की कहानी, थीम या सोशल मैसेज नहीं था और इसके बजाय अश्लील और भद्दे विजुअल्स ज़्यादा थे. I-B मिनिस्ट्री ने IT एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) के तहत कार्रवाई की, जो सरकार को यह अधिकार देता है कि जब इंटरमीडियरीज़ ऑफिशियल नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो वे गैर–कानूनी कंटेंट तक पहुंच हटा दें. सरकार ने कहा कि इस तरह के कंटेंट भारत में नहीं चलेंगे और शिष्टाचार बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है.

एनआरएआई ने अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जजेज प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया

नई दिल्ली, 25 फरवरी।
नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने नई दिल्ली स्थित डॉ. कर्णी सिंह निशानेबाजी परिसर में आज अपना अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जजेज प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया। 21 फरवरी को शुरू हुए इस प्रशिक्षण में देश के विभिन्न भागों से 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
पांच दिवसीय इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के नियमों, निशानेबाजी परिसर के संचालन, अंक निर्धारण प्रक्रिया तथा निष्पक्ष और नैतिक निर्णायक आचरण से संबंधित विषयों का विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण प्रमाणित प्रशिक्षकों तथा अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ 'ए' श्रेणी के निर्णायक प्रमाणपत्र धारक धीरज कुमार सिंह और अरुण वारसी ने दिया।
अगले माह मार्च में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ 'बी' श्रेणी के निर्णायक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण से चयनित प्रतिभागियों को उन्नत स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके पश्चात वे अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त कर विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका निभा सकेंगे। इससे पहले जनवरी में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ अकादमी के सहयोग से 'बी' श्रेणी का प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें 55 प्रशिक्षक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए थे।

अगले 12–18 महीनों में कंप्यूटर पर होने वाले ज्यादातर ऑफिस के काम एआई करेगाः माइक्रोसॉफ्ट एआई प्रमुख

नई दिल्ली, 25 फरवरी।
माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले 12 से 18 महीनों में ज्यादातर व्हाइट–कॉलर नौकरियां, यानी कंप्यूटर से किए जाने वाले ऑफिस के काम एआई द्वारा किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा 'प्रोफेशनल–ग्रेड एजीआई' बना रहा है, जो वकील, अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के अधिकतर काम खुद कर सकेगा।
फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सुलेमान ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक 'पेशेवर स्तर की एजीआई' विकसित करने की होड़ में लगा हुआ है, यानी ऐसा एआई सिस्टम जो लगभव वह सब कुछ कर सकता है जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति कर सकता है। उन्होंने कहा कि एआई अब सिर्फ काम को तेज करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे कई नौकरियों की जरूरत भी कम हो सकती है।
रिपोर्ट में सुलेमान के हवाले से कहा गया है, "व्हाइट–कॉलर वर्क, जहां आप कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, चाहे आप वकील हों, अकाउंटेंट हों, प्रोजेक्ट मैनेजर हों या मार्केटिंग पर्सन हों, इनमें से अधिकांश कार्य अगले 12 से 18 महीनों के भीतर एआई द्वारा पूरी तरह से स्वचालित हो जाएंगे।"
सुलेमान ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य कंपनियों के काम को आसान बनाना है। इसके लिए वह ऐसे एआई सिस्टम बना रहा है जो रोज–रोज होने वाले और दोहराए जाने वाले काम खुद कर सके। इससे कंपनियों को कम कर्मचारियों में भी काम चलाने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने यह भी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट अब अपने खुद के एआई मॉडल ज्यादा बनाएगा, ताकि उसे ओपेनएआई पर कम निर्भर रहना पड़े। दोनों कंपनियों के बीच हुए नए समझौते के बाद यह फैसला लिया गया है। सुलेमान ने कहा कि भविष्य में नया एआई मॉडल बनाना उतना ही आसान हो सकता है जितना कि आज पॉडकास्ट बनाना या ब्लॉग लिखना। यानी संस्थान और व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से खुद का एआई सिस्टम तैयार कर सकेंगे।

जाने भारत के किस शहर को चॉकलेट टाउन के नाम से जाना जाता है?

नई दिल्ली, 25 फरवरी।
चॉकलेट का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक शहर ऐसा भी है जिसे चॉकलेट टाउन के नाम से जाना जाता है. जी हां आपने सही सुना. दरअसल भारत में कई पर्यटन स्थल अपनी खूबसूरती, खाने या खास पहचान के लिए जाने जाते हैं. तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बसा ऊटी भी ऐसा ही एक मशहूर हिल स्टेशन है, जिसे लोग प्यार से "चॉकलेट सिटी" कहते हैं. जब बड़े–बड़े कैफे और महंगे चॉकलेट ब्रांड नहीं थे, तब भी ऊटी से लौटने वाले लोग अपने साथ घर में बनी चॉकलेट ज़रूर ले जाते थे. धीरे–धीरे इन चॉकलेट की चर्चा फैलने लगी. छोटी–छोटी दुकानें खुलीं, परिवारों ने अपनी खास रेसिपी संभालकर रखी और आज ऊटी का नाम चॉकलेट से जुड़ गया. यह पहचान ऊटी ने किसी प्रचार से नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और कारीगरी से बनाई है.
ऊटी का ठंडा मौसम चॉकलेट बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. यहां ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, इसलिए चॉकलेट जल्दी खराब नहीं होती और फ्रिज की भी कम जरूरत पड़ती है. इसी वजह से स्थानीय लोगों ने घर पर ही चॉकलेट बनाना शुरू किया. समय के साथ जब यहां पर्यटन बढ़ा, तो ये चॉकलेट यात्रियों के लिए पसंदीदा तोहफा बन गईं. ऊटी की चॉकलेट खास तौर पर अपनी गाढ़ी स्वाद और अलग–अलग किस्मों के लिए जानी जाती हैं, जैसे मेवे वाली चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, फल और रम लेवर वाली चॉकलेट.
ऊटी का ठंडा और सुहावना मौसम चॉकलेट की गुणवत्ता

को बनाए रखने में मदद करता है. यहां चॉकलेट का स्वाद और बनावट प्राकृतिक रूप से अच्छी रहती है. इसके अलावा, नीलगिरी क्षेत्र में दूध और मलाई आसानी से मिल जाती है, जो अच्छी चॉकलेट के लिए बहुत जरूरी होती है.
ऊटी में आपको हर जगह चॉकलेट की दुकानें मिल जाएंगी, खासकर बाजारों के आसपास. ये दुकानें आमतौर पर छोटी होती हैं, जिनमें कांच के काउंटर लगे होते हैं. यहां साधारण मिल्क चॉकलेट से लेकर हाथ से बनी ट्रफल्स तक मिलती हैं. कुछ जगहों पर लोग चॉकलेट बनते हुए भी देख सकते हैं, जिससे खरीदारी का अनुभव और भी खास हो जाता है.
ऊटी की यात्रा साल भर की जा सकती है, लेकिन अक्टूबर से जून के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम ठंडा और आरामदायक रहता है. गर्मियों में मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए लोग यहां ज्यादा आते हैं. सर्दियों में धुंध और ठंड ऊटी की सुंदरता को और बढ़ा देती है. मानसून में हरियाली तो बहुत होती है, लेकिन घूमने–फिरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है.

ब्रोकर फंडिंग नियम बरकरार, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए प्रावधान

नई दिल्ली, 25 फरवरी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्ट किया है कि बैंकों द्वारा प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और ब्रोकरों को दिए जाने वाले कर्ज से जुड़े हालिया नियमों में बदलाव की कोई योजना नहीं है। यह जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी।
इस महीने की शुरुआत में जारी नए नियमों के तहत आरबीआई ने ब्रोकरों को दी जाने वाली बैंक गारंटी के लिए कोलेटरल (गिरवी) की शर्तें कड़ी कर दी हैं। साथ ही बैंकों को प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरों को कर्ज देने से रोक दिया गया है। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे।
नए नियमों के बाद पिछले सप्ताह ब्रोकरेज कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। बाजार में चिंता जताई जा रही है कि इन नियमों से ब्रोकरों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम घट सकता है। ब्रोकरों ने नियमों की समीक्षा की मांग करते हुए बाजार नियामक को पत्र भी भेजा है।
आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने बोर्ड बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये नियम व्यापक परामर्श के बाद अंतिम रूप दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनमें किसी बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है।
गवर्नर ने बताया कि आरबीआई ने भारत के महंगाई लक्ष्य (इन्फ्लेशन टार्गेटिंग) ढांचे को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं। इस समीक्षा की समय–सीमा मार्च के अंत तक तय है, हालांकि सिफारिशों का विवरण साझा नहीं किया गया।